न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

मो0 परवेज आलम वगै0 बनाम् मोकिम अंसारी वगै0

विविध वाद संख्या –88/2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. मो0 प्रवेज आलम, पिता – मो0 मुमताज अंसारी,
2. मो0 दिलशेर, पिता – मो0 पिता – युनुस अंसारी,
3. खादिम अंसारी, पिता – स्व0 हबीव अंसारी,
4. एकरामुद्दीन अंसारी, पिता – स्व0 मंसुर अंसारी,
5. सदाम हुसैन, पिता – मो0 कलाम अंसारी,
6. तैमुर अंसारी, पिता – समसुद्दीन,
7. मो0 जिलानी, पिता – मो0 कमरूद्दीन अंसारी,
8. रहमत अंसारी, पिता – स्व0 सहमद अंसारी,

सभी साकिन – हेसला, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. मोकिम अंसारी, पिता – स्व0 उसमान अली,
2. सकीम अंसारी, पिता – स्व0 उसमान अली,
3. मोइन अंसारी, पिता – स्व0 उसमान अली,
4. जहाँगीर अंसारी, पिता – मो0 शखावत अंसारी,
5. मनब्बर अंसारी, पिता – मो0 शखावत अंसारी,
6. आवीद अंसारी, पिता – स्व0 जाकिर अंसारी,
7. साबीर अंसारी, पिता – स्व0 सदीक अंसारी,
8. सरीफ अंसारी, पिता – स्व0 सदीक अंसारी,
9. साजिद अंसारी, पिता – स्व0 सदीक अंसारी,
10. आजुम अंसारी, पिता – स्व0 नेयामुद्दीन,
11. हाजी मुमताज अंसारी, पिता – स्व0 नेयामुद्दीन,
12. जमुल अंसारी, पिता – नेयामुद्दीन अंसारी,
13. प्रवेज अंसारी, पिता – स्व0 इम्तियाज अंसारी,

सभी साकिन – हेसला, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

17.08.2024

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
हेसला	92	2019	2.40 ए0	उ0– रास्ता, द0– पीरबक्स मियां वगै0, पु0– बली मोहम्मद, प0– कैला मियां।
हेसला	90/135	2090/2664	74 डी0	उ0– रास्ता, द0– पीरबक्स मियां वगै0, पु0– बली मोहम्मद, प0– कैला मियां।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 27.05.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. खाता नं0 – 92 के ऑफलाइन खतियान की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. खाता नं0 90 के खालसा लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. खाता नं0 – 90 के फर्द अमीन रिर्पोट की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. खाता नं0 – 90 के जमींदारी लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. खाता नं0 – 90 के ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. नजरीय नक्शा की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**
8. विवादित स्थल का फोटोग्राफ की प्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**
9. प्रथम पक्ष के सभी वादी के नाम से आधार कार्ड की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-9**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 25.07.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि मौजा – हेसला, थाना – बगोदर, जिला– गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 92, प्लॉट नं0 – 2019, रकबा – 2 एकड़ 40 डी0 जो खतियान उतीम मियां, रीझो मियां, एवं मदन मियां वल्द स्व0 मोहन मियां के नाम सर्वे खतियान दर्ज है, खतियान में कब्जवारी तीनों के नाम से है, साथ ही खाता नं0 – 90/135, प्लॉट नं0 – 2090/2664 रकबा – 74 डी0 जो लाल मोहम्मद वल्द रीझो मियां के नाम से हासिल है। दोनों खाता प्लॉट के कुल रकबा – 3 एकड़ 14 डी0 । उक्त जमीन पर रैयत शांति पूर्ण दखल कब्जा जोत आबाद में आये तथा शांति पूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए खाता

17.08.2024

नं0 – 90/135 रकबा 74 डी0 का जमाबंदी लाल मोहम्मद वगैरह के नाम से रजिस्टर 2 के भोलुम 01 के पेज नं0 – 144 में दर्ज है। दोनों प्लॉट का सम्मिलात चौहदी उ0 – रास्ता, द0 – पीरबक्स मियां वगै0, पू0 – बली मोहम्मद, प0 – कैला मियां है।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि दिनांक – 18.05.2024 को सभी विपक्षी हमराय एवं एकमत होकर हरवे हथियार से लैश होकर उपरोक्त वर्णित जमीन पर आये तथा प्रथम पक्ष के शांतिपूर्ण दखल कब्जा जोत आबाद के जमीन पर जबरदस्ती मकान बनाने हेतु नींव खोदने लगे प्रथम पक्ष द्वारा नींव खोदने से मना करने पर सभी द्वितीय पक्ष को मारपीट करने पर उतारू हो गये, भदी – भदी गाली देने लगा तथा धमकी दिया कि जमीन पर आयोगें तो मारकर यही रख देगें। इसको लेकर दोनों पक्षों में काफी तनाव है, काफी मारपीट खुन खराबा एवं गंभीर घटना घट सकती है, दोनों के बीच गंभीर टकराव एवं अशांति की संभावना है, विपक्षी तेजी से काम चला रहा है, रोकने पर रूक नहीं रहा है।

द्वित्तीय पक्ष

नोटिस तामिला प्राप्त, रेकर्ड में संलग्न है। दिनांक 11.07.2024 द्वित्तीय पक्ष के सदस्य सं0 – 01 न्यायालय में उपस्थित हुए, परंतु उनके द्वारा कोई भी लिखित कथन/राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया।

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 441 दिनांक – 07.06.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

मौजा – हेसला, थाना सं0 – 104, खाता संख्या – 92, 90/135, प्लॉट संख्या – 2019, 2090/2664, रकबा – 2.40 ए0 एवं 74 डी0 भूमि के संबंध में।

1. खतियान के अनुसार खाता नं0 – 92, सर्वे खतियानी रैयती खाते की भूमि है। खाता नं0 – 90/135 सर्वे गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है।

2. पंजी II के आधार पर प्रथम पक्ष खाता नं0 – 92, परदादा अलिबक्स मियां वगैरह के खतियानी हिस्से से प्राप्त भूमि है। जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या – 8, भोलुम नं0 – 01 पर दर्ज है। खाता नं0 – 90/135, परदादा लाल मोहम्मद के नाम से पंजी II के पृष्ठ संख्या – 144, भोलुम नं0 – 01 पर दर्ज है।

   द्वित्तीय पक्ष खाता नं0 – 92 मो0 जाकिर अंसारी द्वारा केवाला से खरीदगी से प्राप्त है। पंजी II के पृष्ठ संख्या 18, भोलुम संख्या – 8 पर दर्ज है।

3. सरजमीन पर दखल कब्जा संबंधी खाता नं0 – 92 प्रथम पक्ष एवं द्वित्तीय पक्ष अपने–अपने हिस्से पर दखल कब्जा है। खाता नं0 – 90 पर द्वित्तीय पक्ष का दखल कब्जा है। पुराने घर को तोड़कर बनाया जा रहा है।

17.08.2024

विष्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
हेसला	92	2019	2.40 ए0	उ0– रास्ता, द0– पीरबक्स मियां वगै0, पु0– बली मोहम्मद, प0– कैला मियां।
हेसला	90/135	2090/2664	74 डी0	उ0– रास्ता, द0– पीरबक्स मियां वगै0, पु0– बली मोहम्मद, प0– कैला मियां।

2. **प्रथम पक्ष का कहना है कि** मौजा – हेसला, थाना – बगोदर, जिला– गिरिडीह के अंतर्गत खाता नं0 – 92, प्लॉट नं0 – 2019, रकबा – 2 एकड़ 40 डी0 जो खतियान **उतीम मियां, रीझो मियां, एवं मदन मियां वल्द स्व0 मोहन मियां** के नाम सर्वे खतियान दर्ज है, खतियान में कब्जवारी तीनों के नाम से है, साथ ही खाता नं0 – 90/135, प्लॉट नं0 – 2090/2664 रकबा – 74 डी0 जो **लाल मोहम्मद वल्द रीझो मियां** के नाम से हासिल है, तथा खाता नं0 – 90/135 रकबा 74 डी0 का जमाबंदी लाल मोहम्मद वगैरह के नाम से रजिस्टर 2 के भोलुम 01 के पेज नं0 – 144 में दर्ज है।

3. **द्वितीय पक्ष की ओर से** कोई भी लिखित कथन / राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

4. अंचल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि खाता नं0 – 92, सर्वे खतियानी रैयती खाते की भूमि है। खाता नं0 – 90/135 सर्वे गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है।

   खाता नं0 – 92 प्रथम पक्ष एवं द्वित्तीय पक्ष अपने– अपने हिस्से पर दखल कब्जा है। खाता नं0 – 90 पर द्वित्तीय पक्ष का दखल कब्जा है। पुराने घर को तोड़कर बनाया जा रहा है।

5. प्रथम पक्ष की ओर से कोई वंशावली संलग्न नहीं किया गया है, और प्रथम पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन / राजस्व दस्तावेज से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत / जमाबंदी रैयत के कौन लगते हैं,

   द्वितीय पक्ष के द्वारा भी कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अधूरे साक्ष्य के आधार पर कोई भी निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

17.08.2024

अंसतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

17.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 17:13:21 +05:30
Location: 192.168.45.238